भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 102

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020 / 23 भाद्रपद, 1942 (शक)

प्रवासी मजदूरों की आजीविका पर संकट

102. श्री तालारी रंगैय्या:
श्री एन. रेड्डप्पा:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री के. नवासखनी:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप रोजगार की कमी और रोजगार छूटने के कारण देश में प्रवासी मजदूरों के आजीविका संकट के समाधान के लिए कोई कदम उठाए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए ग्रामीण रोजगार में वृद्धि या सृजन करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में रोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): भारत सरकार ने वैश्विक महामारी, कोविड-19 के प्रभाव का शमन करने के लिए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के अंतर्गत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। इन उपायों का उद्देश्य गरीबों में से सबसे गरीब तक हाथ में भोजन और धन पहुंचाना है जिससे कि उन्हें अनिवार्य वस्तुओं को खरीदने और अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। इस राहत पैकेज की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त कोविड-19 से लड़ने वाले प्रति स्वास्थ्य कामगार को 50 लाख रुपये का बीमा छत्र प्रदान करना।

(ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी लाभार्थियों में 80 करोड़ लोगों को नवंबर, 2020 तक प्रत्येक माह अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो इच्छित दालें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(iii) 20.65 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को तीन माह तक 500/- रुपये प्रतिमाह की नकद सहायता दी गई है। महिला जन धन खाता धारकों को तीन किस्तों में 10,325 करोड़ रुपये, 10,315 करोड़ रुपये और 10,312 करोड़ रुपये क्रेडिट किए गए हैं।

(iv) उज्जवला योजना के अंतर्गत पंजीकृत 8 करोड़ गरीब परिवारों को अगले तीन माह तक 1 गैस सिलेण्डर प्रति परिवार प्रतिमाह नि:शुल्क मिलेगा।

(v) मनरेगा मजदूरी को 182/- रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202/- रुपये प्रतिदिन कर दिया गया है, जिससे 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।

(vi) 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब नि:शक्तों को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति की अनुग्रह वित्तीय सहायता दी जाएगी। लगभग 2.81 करोड़ वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं और नि:शक्त व्यक्तियों को दो किस्तों में 2814.5 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।

(vii) 8.94 करोड़ लाभार्थियों को पीएम-किसान योजना की पहली किस्त के भुगतान के निमित्त 17,891 करोड़ की अग्रिम अदायगी की गई।

(viii) 100 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठान में 15000/- रुपये प्रतिमाह से कम आय वाले मजदूरी-अर्जकों को अगले तीन माह तक उनकी मासिक मजदूरी का 24% प्रति व्यक्ति, प्रतिमाह उनके पीएफ खातों में दिया जाएगा।

(ix) उपकर निधि से 2.03 करोड़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को 5000 करोड़ रुपये (लगभग) की नकद सहायता दी गई है।

(x) उपकर निधि से 30 लाख भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों को खाद्य पैकेज राहत भी दी गई है।

(ख) से (ङ): कोविड-19 के प्रकोप से गांवों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी करने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया है। इस अभियान में गांवों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना पर तथा इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस किया गया है। ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को घर के नजदीक काम दिलाने के लिए उनकी कौशल

मैपिंग की जा रही है। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपये के कुल संसाधन के साथ 6 राज्यों के 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवसंरचना सृजित करने के लिए 25 लक्ष्य प्रेरित कार्यों का गहन और केन्द्रित कार्यान्वयन शामिल है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपने निवास स्थानों को लौट आए प्रवासी कामगारों के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की हैं। इनमें से एक योजना आंगनवाड़ी सेवाएं हैं जो प्रवासी कामगारों के बच्चों के लिए विस्तारित की गई है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 700 खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण एवं अवसंरचना परियोजनाएं संस्वीकृत की हैं जिनमें प्रवासी कामगारों को रोजगार मिलेगा।

प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क निर्माण हेतु चालू निर्माण-कार्यों/नए निर्माण-कार्यों की पहचान की है। इस्पात मंत्रालय ने भोजन के पैकेटों और चेहरे के मास्कों, दूध के पाउडर आदि के साथ प्रवासी कामगारों और उनके परिवारों की सहायता की है।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी कृषि-जलवायु जोनों, 101 आकांक्षी जिलों सहित 150 जिलों को कवर करते हुए देश में 30 बायोटैक - किसान केन्द्र स्थापित किए हैं जो प्रवासी कामगारों को खेती के माध्यम से उनकी आजीविका कमाने और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की नवाचारी पद्धतियों से उन्हें अवगत कराने में उनकी सहायता करेंगे।

****